न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–19/2022

जीसीएमएस नं.:–2022/220

1. टीनूसिंह पुत्र हरभजनसिंह उर्फ हरबचनसिंह
2. गुरदीपसिंह पुत्र हरभजनसिंह उर्फ हरबचनसिंह

अकवाम जटसिख निवासीगण 67 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर जरिए स्वयं एवं मुख्तयारआम टीनूसिंह पुत्र हरभजनसिंह उर्फ हरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 67 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–– प्रार्थीगण

बनाम्

1. अवतारसिंह पुत्र मुख्तयारसिंह जाति जटसिख निवासी 67 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

1. श्री हरेन्द्रसिंह सेखो एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री कपिल मिढ़ा एडवोकेट अप्रार्थीगण सं.–1 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30/04/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक के अधिकार व अधिपत्य की तहसील अनूपगढ़ के वाके चक 67 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–41 पं.न.–262/441 का कि.नं.–20 व 21 में से 2 बिस्वा पत्थर लाईन के साथ साथ रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसे स्वीकृत किया जो रास्ता कि.नं.–21 के साथ चल रहे आम रास्ता पर खुलता है और जो आम रास्ता आगे चलकर पक्की सडक अनूपगढ पर पहुंचंता है तथा इसी रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करके अपनी कृषि भूमि में पहुंचंता है इसके अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि व ढ़ाणी में आवाजाही के लिए कोई रास्ता नही है तथा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदकगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आ जा सकेगी तथा [illegible] गांव में जाने वाले रास्ता आम व पक्की सडक अनूपगढ़ से जुड जायेगा जिससे आवेदकगण अपनी कृषि भूमि व ढाणी में आसानी से आवागमन कर सकेगा उक्त रास्ता ही पूर्व में पिछले काफी समय से चालू है लेकिन अनावेदक उक्त चले रहे रास्ता से आवेदकगण का आवागमन [illegible]त करने के प्रयासरत है। नजरी नक्शा सलग्नं है। आवेदकगण की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिऐ विद्यमान में कोई मार्ग नंही है तथा आवेदकगण द्वारा चाहा गया मार्ग लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:19 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

जिसकी आवेदकगण को अत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिए आवेदकगण नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। आवेदकगण ने अपनी उक्त कृषि भूमि में के लिऐ उक्त अनावेदक से अरसा पाचं दिन पूर्व नया मार्ग बनाने / स्वीकृत करवाने के लिए आग्रह किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गया और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि वह आवेदकगण को उनकी कृषि भूमि में आवागमन के लिए अपनी भूमि के किला नम्बर 20 व 21 मे से कोई रास्ता नंही देगा बल्कि इस किलाजात में जो रास्ता चल रहा है उसे शिघ्र ही बन्द कर दूंगा तथा इसके लिऐ अप्रार्थी प्रयासरत भी है और इसी उदेश्य से अनावेक इन किलाजात में जे सी बी द्वारा अवैध खनन करके इनमें से मिटटा उठवाकर इन किलाजात में 10–10 फीट गहरे खडडे करना चाहता है ताकि हम आवेदकगण को इन किलाजात में से कभी भी रास्ता उपलब्ध ना हो सके अगर अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि व ढाणी के आवागमन के इस एक मात्र रास्ता को बन्द करने में कामयाब हो गया तो इससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आ जा नंही सकेगा व प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध होने से प्रार्थी को काफी कठिनाईयों एवं असुविधाओ का सामना करना पडेगा इसलिऐ प्रार्थी की ओर से आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण की कृषि भूमि वाके चक 67 जी बी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–41 पं.नं.–262/441 में आवागमन के लिऐ अनावेदक के धारणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की कृषि भूमि वाके वाके चक 67 जी बी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–41 पं.नं.–262/441 के कि.नं.–20 व 21 में से 2 बिस्वा रास्ता पत्थर लाईन के साथ साथ स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अकंन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 की ओर से श्री कपिल मिढ़ा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 67 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.–41 पं.नं.–262/441 का कि.नं.–1/1 का 0.228, 2/1 का 0 228, 9 ता 12 प्रत्येक 0.253, 13 कां 0.016, 17, 24, 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसमें से किला नं.–17 का 0.253.24 का 0.253, 25 का 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर खातेदारी भूमि प्रार्थीगण ने श्रीमती कुलविन्द्रकौर पत्नी सन्तोखसिहं जाति जटसिख निवासी 67 जी बी तहसील अनूपगढ को जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 04.07.2022 को विक्रय कर दी है बैयनामा की प्रति सलग्नं है। प्रार्थीगण के धारण में चक 67 जी बी तहसील अनूपगढ का मु.नं.–41 पं.नं.–262/441 का कि.नं.–1/1 का 0.228, 2/1 का 0.228, 9 ता 12 प्रत्येक 0.253, 13 का 0.016, 17, 24, 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी उक्त मु.नं.–41 पं.नं.–262/441 के कि.नं. –21 ता 25 में रास्ता आम है जिस आम रास्ता पर आने जाने के लिए प्रार्थीगण पूर्व में अपनी कृषि भूमि के किला नं.–24 व 17 में से होकर उक्त कि.नं.–18 की में प्रवेश करते थे तथा प्रार्थीगण पूर्व में वर्षों से ही कि.नं.–24 व 17 में से होकर अपनी कृषि भूमि में तथा आम रास्ता पर आवागमन करते आ रहे थे जो कि.नं.–24 व 17 का रास्ता मौका पर आज भी चालू है लेकिन अब चूकिं हाल ही में दिनांक 04.07.2022 को प्रार्थीगण ने उक्त मु.नं.–41 पं.नं.–262/441 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:19 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

किला नं.–17 का 0.253, 24 का 0.253,25 का 0.253 हैक्टर कुल 0.759 हैक्टर खातेदारी भूमि श्रीमती कुलविन्द्रकौर पत्नी सन्तोखसिह जाति जटसिख निवासी 67 जी बी तहसील अनूपगढ को जरिए पंजीकृत बैयनामा विक्रय कर दी और उक्त बैचानशुदा भूमि के साथ ही कि.नं.–24 व 17 के रास्ता की भूमि को भी इनके द्वारा विक्रय कर दिया जबकि प्रार्थीगण के पास पूर्व में कि.नं. –24 व 17 में रास्ता मौजुदा था जो आज भी चल रहा है और इसी रास्ता का ही प्रार्थीगण वर्षो से उपयोग उपभोग करते हुऐ अपनी भूमि के कि.नं.–13 में प्रवेश करते थे जो रास्ता आज भी चालू है लेकिन प्रार्थीगण ने बदयान्तिपूर्वक उक्त रास्ता की भूमि सहित अपनी कि.नं.–17, 24 व 25 की भूमि महगें बाजार भावो में बैचान करने के बाद अब प्रार्थीगण मन अप्रार्थी के किला नं.–20 व 21 की भूमि में रास्ता की मांग कर रहे है जबकि इनके पास पूर्व से ही रास्ता आम के पास अपनी कृषि भूमि के किला नं.–24 व 17 में रास्ता उपलब्ध था तथा प्रार्थीगण वर्षों से उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग कर रहे थे जिन्हे अपनी भूमि में आने जाने में कोई असुविधा व बाधा नही था जो रास्ता आज भी चालू है अगर प्रार्थीगण को अपनी शेष भूमि में आने जाने के लिऐ कोई रास्ता चाहिऐ था तो प्रार्थीगण को चाहिऐ था कि वे कि.नं.–24 व 17 में चल रहे रास्ता की भूमि को अपने पास रखकर किला नं.–17, 24 की शेष भूमि को बैचान करते लेकिन प्रार्थीगण ने बदयान्तिपूर्वक एवं लालचवश अपनी भूमि मंहगे बाजार भावो में बेचकर अब सस्ती एवं डीएलसी रेटो पर मन अप्रार्थी के किला नं.–20 व 21 में रास्ता लेने के प्रयासरत है जिसके प्रार्थीगण कतई विधिक अधिकारी नंही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है।

अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा आवेदन पत्र टीनूसिंह अन्तगर्त धारा 251 ए की जाचं हेतु चक 67 जीबी पत्थर नं.–262/441 मुरब्बा नं.–41 का किला नं.–41 के किला नं.–21 पर किला नं.–21 ता 25 में चालू स्वीकृत रास्ता पर पहुचा। प्रार्थी के पास इसी मुरब्बा नं.–41 के किला नं.–1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 (आशिंक) है तथा अप्रार्थी अवतारसिंह के पास किला नं.–20/2 का 0.025, 21/1 का 0.025 कुल 0.050 हैक्टर, नहरी रकबा दर्ज रिकार्ड है इस 0.050 हैक्टर रकबा के अलावा अप्रार्थी के पास अन्य भूमि नही है यानि बाकी भूमि बेच चुका है रास्ते हेतु आवेदित रकबा में से 10–11 फुट को छोड़कर शेष रकबा गहरा ख़नित है। आवेदित/ वाछित रास्ते मे कोई अवरोध नही है तथा इसके कम दूरी का कोई अन्य रास्ता प्रस्तावित नही हो सकता है। मौका पर तारबन्दी सड़क के पास की इुई है। आवेदित भूमि मे से रास्ता चालू नही है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्या[illegible] अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ से क्रमांक [illegible]/2025/1160 दिनांक 04.12.2025 रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के अ[illegible] चाहा गया रास्ता निकटतम एवं आवश्यक होने के कारण रास्ता स्वीकृत करना उचित है [illegible] मार्ग स्वीकृत किए जाने पर आवेदक की भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। मार्ग की ऐवज में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:19 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को खातेदारी कृषि भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदकगण की कृषि भूमि **चक 67 जी बी तहसील अनूपगढ का मु. नं.–41 पं.नं.–262/441 के कि.नं.–20 व 21 में से 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता पत्थर लाईन के साथ साथ स्वीकृत** जाकर अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, निकटतम एवं आवश्यक है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त. (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थीगण को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करें रास्ता में आई भूमि की राशि अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज **दिनांक** 30/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.30 17:03:19 IST
Reason: SelfAttested